

न्यायालय : एस.एस. जमरा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर (म.प्र.)

कमांक./ 1073 / 2023

मंदसौर, दिनांक 16.12.2023

- :: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश माह जनवरी-फरवरी 2023 ::-

- ::जिला मुख्यालय-मंदसौर ::-

| क. | न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम | माह जनवरी 2023 | माह फरवरी 2023 |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | श्री प्रेमदीप सांकला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी | 01-01-2024 07-01-2024 | --- |
| 2 | कु. लक्ष्मी वास्कले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी | 28-01-2024 | 25-02-2024 |
| 3 | श्री विनोद अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी | 26-01-2024 | 14-02-2024 |
| 4 | श्री राहुल सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी | --- | 17-02-2024 18-02-2024 |
| 5 | सुश्री निकिता वार्ष्णेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी | --- | 04-02-2024 11-02-2024 |
| 6 | सुश्री प्राची पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी | 20-01-2024 21-01-2024 | --- |
| 7 | सुश्री रूपा मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी | 14-01-2024 15-01-2024 | --- |

- ::तहसील मुख्यालय-नारायणगढ़ ::-

| क. | न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम | माह जनवरी 2023 | माह फरवरी 2023 |
|----|--|--|--|
| 1 | श्री सौरभ कुमार सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी | 01-01-2024 07-01-2024 14-01-2024 15-01-2024 20-01-2024 26-01-2024 | 04-02-2024 |
| 2 | श्रीमती साक्षी प्रसाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी | 21-01-2024 28-01-2024 | 11-02-2024 14-02-2024 17-02-2024 18-02-2024 25-02-2024 |

- ::तहसील मुख्यालय-सीतामउ ::-

| क. | न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम | माह जनवरी 2023 | माह फरवरी 2023 |
|----|--|--|--|
| 1 | श्री बलवीर सिंह धाकड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी | 01-01-2024 07-01-2024 15-01-2024 21-01-2024 28-01-2024 | 04-02-2024 11-02-2024 17-02-2024 |
| 2 | श्रीमती अर्चना यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी | 14-01-2024 20-01-2024 26-01-2024 | 14-02-2024 18-02-2024 25-02-2024 |

(एस.एस. जमरा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मंदसौर (म.प्र.)

- ::तहसील मुख्यालय-गरोठ ::-

| क. | न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम | माह जनवरी 2023 | माह फरवरी 2023 |
|----|--|--|--|
| 1 | श्री राहुल दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी | 01-01-2024 14-01-2024 20-01-2024 26-01-2024 | 04-02-2024 14-02-2024 18-02-2024 |
| 2 | सुश्री प्रीति पांडे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी | 07-01-2024 15-01-2024 21-01-2024 28-01-2024 | 11-02-2024 17-02-2024 25-02-2024 |

- ::तहसील मुख्यालय-भानपुरा ::-

| क. | न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम | माह जनवरी 2023 | माह फरवरी 2023 |
|----|---|--|--|
| 1 | श्री ऋषिराज मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भानपुरा | 01-01-2024 07-01-2024 14-01-2024 15-01-2024 20-01-2024 21-01-2024 26-01-2024 28-01-2024 | 04-02-2024 11-02-2024 14-02-2024 17-02-2024 18-02-2024 25-02-2024 |


माह जनवरी 2023 के उपरोक्त अवकाशों के अतिरिक्त में यदि कोई अतिरिक्त सार्वजनिक अवकाश घोषित होने अथवा रिमांड ड्यूटी हेतु नियुक्त मजिस्ट्रेट के अवकाश/मुख्यालय छोड़ने की अनुमति स्वीकृत होने की दशा में मंदसौर/सीतामउ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा स्थापना पर उक्त दिनांक की रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन माह जनवरी 2023 में क्रमशः सुश्री रुपा मिश्रा/श्रीमती अर्चना यादव/श्री सौरभ कुमार सिंह/सुश्री प्रीति पाण्डेय/श्री ऋषिराज मिश्रा के द्वारा किया जावेगा।

माह फरवरी 2023 के उपरोक्त अवकाशों के अतिरिक्त में यदि कोई अतिरिक्त सार्वजनिक अवकाश घोषित होने अथवा रिमांड ड्यूटी हेतु नियुक्त मजिस्ट्रेट के अवकाश/मुख्यालय छोड़ने की अनुमति स्वीकृत होने की दशा में मंदसौर/सीतामउ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा स्थापना पर उक्त दिनांक की रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन माह फरवरी 2023 में क्रमशः श्री प्रेमदीप सांकला/श्री बलवीर सिंह धाकड़/श्रीमती साक्षी प्रसाद/श्री राहुल दुबे/श्री ऋषिराज मिश्रा के द्वारा किया जावेगा।

उपर्युक्तानुसार नियत रिमांड ड्यूटी सामान्यतः परिवर्तित नहीं की जा सकेगी। किन्तु आकस्मिकता एवं आपवादिक परिस्थितियों में यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी रिमांड परिवर्तित/समाप्त कराना चाहे, तो संबंधित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित पारस्परिक सहमति प्रेषित किये जाने पर उपर्युक्तानुसार नियत रिमांड ड्यूटी परिवर्तित की जा सकेगी।


सार्वजनिक अवकाश अवधि में न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दिये जाने का आवेदन प्रेषित करते समय आवेदन में उक्त सार्वजनिक अवकाश में उनकी रिमांड ड्यूटी नियत होने या न होने का स्पष्ट उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

समस्त थाना प्रभारी/अनुसंधानकर्ताओं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी से विहित 24 घंटे की समयावधि का अवसान रिमांड ड्यूटी हेतु नियत समय 3.00


 (एस.एस. जैसवाल) 3
 न्यायिक मजिस्ट्रेट
 मंदसौर (म.प्र.)

बजे के पूर्व समाप्त होने की दशा में उक्त दिनांक को रिमांड ड्यूटी करने वाले न्यायालय के निष्पादक लिपिक से अविलंब संपर्क कर निष्पादक लिपिक के माध्यम से रिमांड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट को अवगत कराना तथा रिमांड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार रिमांड संबंधी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

विशेष :- यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर के आदेश के अधीन प्रभावशील रहेगा।



(एस.एस. जमरा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मंदसौर (म.प्र.)

मंदसौर, दिनांक 16.12.2023

पृ.क.:- 1074 / 2023

प्रतिलिपि :- (ईमेल-मेसेज द्वारा)

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मन्दसौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर/सीतामउ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- अतिरिक्त/जिला अभियोजन अधिकारी, मंदसौर/सीतामउ/ नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, मंदसौर/सीतामउ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर सूचनार्थ।
- 5- नाजिर/नायब नाजिर, नजारत अनुभाग मंदसौर/सीतामउ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर सूचनार्थ।
- 6- सिस्टम आफिसर/डी.एस.ए./कम्प्यूटर लिपिक न्यायिक स्थापना मंदसौर/सीतामउ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर उक्त आदेश की प्रतिलिपि ई-मेल/मेसेजे के माध्यम से संबंधित को प्रेषित किये जाने हेतु।


(एस.एस. जमरा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मंदसौर (म.प्र.)

